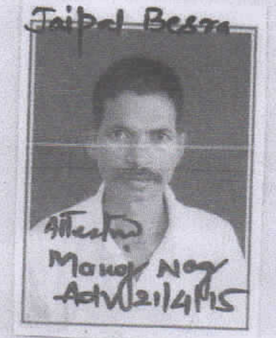

[illegible] 1988 [illegible]
4.6. (1) [illegible]
[illegible]
[illegible] 23 I-A - with the Permission
[illegible] by S.D.O. Simdega vide
[illegible] Case No 448 R 8(11)/2014-15
order dated
16.4.15

21.4.15

21.4.15

21/4/15

§1§ लेख्यकारीगण:- §1§ जयपाल बेसरा वो §2§ जय प्रकाश बेसरा दोनों पिता स्व0 सरदार बेसरा, जाति- गोंड़, पेशा- व्यापार, निवास ग्राम- गोतरा डिप्टीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेतागण ।

शमथ-पत्र संख्या :- 202, 203, /2015

फोर्म 60

फोर्म 60

पहचान गवाह -

21/04/15

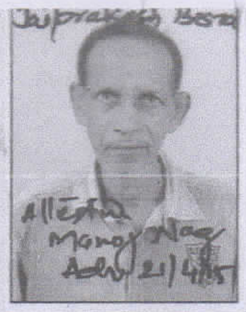

(2) लेख्यधारी :- श्री राकेश शैलेन्द्र सोरेंग पिता श्री अन्तोनी सोरेंग जाति- खड़िया, पेशा- व्यापार, निवास ग्राम- मरियमपुर गोतरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 204/2015

पैन नं० ई.डी.क्यू.पी.एस.1779 के.

(3) लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य :- मोबलिग अठारह लाख बहत्तर हजार रूपये अंके 18,72,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पति :- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 152 (एक सौ बावन) प्लॉट नं० 149 (एक सौ उनचास) रकबा 0.87 एकड़ में से 0.78 एकड़ (अठहत्तर डिसमिल) शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- जोहन तिर्की का टांड़,

दक्षिण:- रंजीत तिर्की का टांड़,

पूरब :- जोर्ज डुंगडुंग का घर बारी,

पश्चिम:- मरियानुस डुंगडुंग का घर बारी ।

मालगुजारी 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

गवाह- राजेश कैरकेट्टा
पिता- जोहन कैरकेट्टा
ग्राम- खिजरी पुरनापानी
थाना + जिला- सिमडेगा
21-4-15

(1) चूँकि हम लेख्यकारीगण को कृषि योग्य भूमि खरीदने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब हमलोगों ने लेख्यधारी से हमारी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचे और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिये । अब से बेची गई जमीन पर न हमारा कोई हक सरोकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं कि विक्रीत वर्णित जमीन हमारे पिताजी सरदार बेसरा के नाम से खरीदगी है जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 413/59 दिनांक 20.11.59 है, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या 43 आर 27/1974-75 के द्वारा दाखिल खारिज होकर मालगुजारी रसीद कटता है । हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन हमलोगों को उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त है जिसपर हमारा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 448 आर 8(11)/2014-15 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 16.4.015 को प्राप्त हुई एवं जिसका ज्ञापांक 316(11) दिनांक 16.4.015 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

हमलोग लेख्यकारीगण यह घोषणा करते हैं कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जयपाल बेसरा

जय प्रकाश बेसरा

जयपाल बेसरा 21/4/15

जय प्रकाश बेसरा 21-4-15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारीगण जयपाल बेसरा एवं जय प्रकाश बेसरा के बायें हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

By Manoj Nag
Adv 21/4/15

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

राकेश शैलेन्द्र सोरेंग

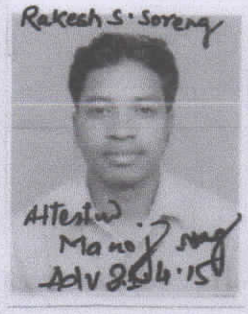

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी राकेश शैलेन्द्र सोरेंग के बायें हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

By
Manoj Nag

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Manoj Nag Adv 21/4/15

{प्रारूपकर्त्ता}
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छ: पृष्ठों में कुल 652 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक
मो0 मकसुद
21.4.15
मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

IN THE COURT OF RENT SUIT DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Case No. 448 / **R 8(11)/20**14-15

जयपाल बेसरा वो जय प्रकाश बेसरा पिता स्व० सरदार बेसरा ग्राम – गोतरा डिरी टोली थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा

Applicant

STATE OF Jharkhand & Others .... Opposite party .... In the exercise of the powers transferred on under Section 46/48 of the Chhotanagpur Tenancy Act Amendment Act. IV of 47 I hereby sanction of the Transfer of following plots by the applicant.

श्री राकेश शैलेन्द्र सोरेंग पिता श्री अन्तोनी सोरेंग ग्राम – मरियमपुर गोतरा थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा

Village	Thana & No.	Khata No.	Plot No.	Area
खिजरी फुरनापानी	सिमडेगा 105	152	149	0.8700

चौहद्दी:-

उ0:- जोहन तिर्की का रोड

द0:- रंजीत तिर्की का रोड

पू0:- जोजे डुंगडुंग का घर बारी

प0:- मरियानुस डुंगडुंग का घरबारी

ह0/-

लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 316(ii) /रा0 दिनांक 16-4-015

प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, सिमडेगा एवं आवेदक जयपाल बेसरा वो जय प्रकाश बेसरा पिता स्व० सरदार बेसरा ग्राम – गोतरा - डिरी टोली थाना – सिमडेगा जिला– सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

(Signature) 16/4/15

लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।